"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर 2006—आश्विन 5, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/88/2006/वाक/पांच (79).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-दो की प्रविष्टि क्रमांक 111 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को उक्त प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये "टूल्स (औजार)" अधिसूचित करती है, यथा,—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तु का नाम (2)
1.	शक्ति औजार यथा, इलेक्ट्रिक ड्रील्स, टेपिंग मशीन, हथौड़ा, सेन्डर्स, प्लानर्स, स्क्रू ड्रायवर, ब्लोअर, राउटर्स, विंचेज, ग्राइंडर्स, सुपर एब्रेसिव, नान-वुवन एब्रेसिव, फर्श पॉलिसिंग पत्थर को छोड़कर, बांडेड एब्रेसिव.
2.	कटिंग औजार यथा, टेप्स, मिलिंग कटर्स, रीमर्स, सेग्मेंट्स, कार्बाइड टूल्स, आरी, हाई स्पीड कट-आफ मशीन, शीयर्स, निबलर्स, कम्पाऊंड मीटर, आरी, मेसॅनरी कटर्स, डायमंड ड्रेसर कटर, गेयर हाब्स तथा गेयर शेपर कटर्स.

(1)	(2)
3.	माप औजार यथा, माइक्रोमीटर्स, वेरनियर केलीपर्स, फिलर गेज, हाइट गेज, स्लीप गेज, प्रसेर गेज, डायल थर्मोमीटर, वाटरमीटर तथा मेजरिंग स्टील टेप.
4.	हाईड्रोलिक औजार यथा, जैक, पाईप-बेंडर्स, टार्क रेंचेज, ब्रेकर्स, सिलिण्डर्स तथा कन्ट्रोल वाल्व.
5.	वातिल औजार यथा, इम्पेक्ट रेंचेज, रेमर्स, ग्राइंडर्स, ड्रिल्स, टार्क रेंचेज, फिल्टर्स, रेग्युलेटर तथा ल्यूब्रिकेंट एप्लीकेंटर्स.
6.	हस्त औजार यथा, स्पेनर्स, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, हथौड़ा, टार्क टूल्स, कोल्ड चिजेल, ड्रिल बिट्स एवं बर्स, टूल बिट्स, लोहा-आरी लोहा-आरी ब्लेड तथा फ्रेम, बैंड-सॉ, रोल्स, डाईस, डाइ-नट्स, बढ़ईगिरी के औजार, राजगीरी के औजार तथा स्टील फाइल्स.

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2006 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ-10/88/2006/वाक/पांच (79).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/88/2006/वाक/पांच (79), दिनांक 27 सितम्बर, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th September 2006

NOTIFICATION

No. F-10/88/2006/CT/V (79).—In pursuance of the requirement under entry 111 of part II of Schedule-2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby notifies the goods specified in Schedule below as "Tools" for the purpose of the said entry, namely,—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Goods (2)
1.	Power tools such as electric drills, tapping machines, hammers, sanders, planners, screw drivers, blower, routers, winches, grinders, super abrasives, non-woven abrasives, bonded abrasives other than stone for polishing floor.

(1)	(2)
2.	Cuttings tools such as taps, milling cutters, reamers, segments, carbide tools, saws, high speed cut-off machines, shears, nibblers, compound miter sawas, masonry cutters, diamond dressers cutter, gear hobbs & gear shaper cutters.
3.	Measuring tools such as micrometers, vernier calipers, feeler gauges, height gauges, slip gauges, pressure gauges, dial thermometers, water meter and measuring steel tapes.
4.	Hydraulic Tools such as jacks, Pipe-benders, torque wrenches, breakers, cylinders & control valves.
5.	Pneumatic Tools such as impact wrenches, rammers, grinders, drills, torgque wrenches, filter, regulators and lubricant applicators.
6.	Hand tools such as spanners, pliers, screw drivers, hammers, torque tools, cold chisels, drill bits and burrs, tool bits, hack-saws, hacksaws blades and frmaes, band-saw rolls, dice, die-nuts, tools for carpentry, tools for masons and steel files.

2. This notification shall come into force with effect rom 1st October, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/88/2006/वाक/पांच (80).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-एक की प्रविष्टि क्रमांक 1 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को उक्त प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये "कृषि उपकरण" अधिसूचित करती है, यथा ,—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का नाम (2)
1.	कुल्हाड़ी
2.	बिल हुक्स (सभी प्रकार)
3.	बंध फार्मर
4.	भूसा कर्तक
5.	ढेला क्रशर
6.	कल्टीवेटर
7.	डिबलर
8.	डिचर
9.	फर्टीलाइजर/सीड कास्टर
10.	फ्लेम गम
11.	ग्राउंडनट डिकोरटिकेटर

(1)	(2)
12.	बखर (सभी प्रकार)
13.	कुदाल (सभी प्रकार)
14.	जुनर
15.	खुरपी
16.	लेंवलर्स
17.	मैज शेलर
18.	मैन्युअर स्प्रेडर्स
19.	मैन्युअर/सीड/स्क्रीनर/क्लीनर
20.	मटोक
21.	मिस्ट ब्लोअर
22.	लावक
23.	नरेसन कल्टीवेटर
24.	पेरसियन व्हील तथा उनके पार्टस्
25.	फावड़ा
26.	गैती (सभी प्रकार)
27.	पाटा
28.	प्लांटर्स
29.	हल
30.	हल पाइंट
31.	हल शेयर
32.	पल्वराइजर
33.	रीपर्स
34.	रीजर
35.	रूटर्स
36.	साइक्टर्स
37.	स्क्रेपर्स
38.	सीड ड्रिल्स
39.	सीड ग्रेडर
40.	सिकल, रेक, फोर्क, बडिंग एवं प्रुनिंग चाकू तथा शोवेल
41.	मिट्टी इंजेक्टर्स
42.	स्प्रेयर्स तथा डस्टर्स, स्प्रेयर्स कम डस्टर्स
43.	गन्ना क्रशर
44.	थ्रेशर
45.	ट्रांसप्लांटर
46.	निंदाई उपकरण
47.	उड़ावनी पंखा/उड़ावन'
48.	योक

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2006 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ-10/88/2006/वाक/पांच (80).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/88/2006/वाक/पांच (80), दिनांक 27 सितम्बर, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th September 2006

NOTIFICATION

No. F-10/88/2006/CT/V (80).—In pursuance of the requirement under entry 1 of Schedule I of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby notifies the goods specified in Schedule below as "Agricultural Implements" for the purpose of the said entry, namely,—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of goods (2)
1.	Axes
2.	Bill hooks (All kinds)
3.	Bund former
4.	Chaff cutter
5.	Clod crusher
6.	Cultivator
7.	Dibbler
8.	Ditcher
9.	Fertilizer/seed caster
10.	Flame gun
11.	Groundnut decorticator
12.	Harrowas (all kinds)
13.	Hoe (all kinds)
14.	Junor
15.	Khurpi
16.	Levelers
17.	Maize sheller
18.	Manure spreaders
19.	Manure/seed screener/cleaner
20.	Mattock
21.	Mist blower
22.	Mower
23.	Naresan cultivator
24.	Persian wheel and parts thereof
25.	Phawda
26.	Pick axe (all kinds)
27.	Plank

(1)	(2)
28.	Planters
29.	Plough
30.	Plough points
31.	Plough share
32.	Pulverisers
33.	Reapers
34.	Ridger
35.	Rooters
36.	Scieacters
37.	Scrapers
38.	Seed drills
39.	Seed grader
40.	Sickle, rake, fork, budding, pruning knife and shovel
41.	Soil injectors
42.	Sprayers and dusters, sprayers cum dusters.
43.	Sugarcane crusher
44.	Thresher
45.	Transplanter
46.	Weeding instruments
47.	Winnowing fan/winnower
48.	Yoke.

2. This notification shall come into force with effect from 1st October, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA. Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.